सप्रू हाउस में श्वासरोधक गैस की घटना

*1187. श्री बृजराज सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री अजीत सिंह :
श्री यू० द० सिंह :
श्री लहरी सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अप्रैल, 1965 को सप्रू हाउस, नई दिल्ली में हो रही एक मीटिंग के अवसर पर कुछ शरारती व्यक्तियों ने चुपके से एक ट्यूब से श्वासरोधक गैस छोड़ दी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुलिस ने इस मामले की छानबीन कर ली है ; और

(ग) घटना का विवरण क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). नई दिल्ली में बिलट्ज राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी द्वारा आयोजित एक जनसभा, जिसमें 600-700 व्यक्ति भाग ले रहे थे, नई दिल्ली स्थित सप्रू हाउस में 22 अप्रैल 1965 की शाम को हुई थी ।

लगभग 7.30 बजे शाम को जब एक वक्ता सभा में भाषण दे रहे थे, हाल के पिछले भाग में बैठे हुए कुछ श्रोतागणों में हलचल मच गई । उनमें से कई शीघ्रता के साथ हाल से उठ कर चले गये । पता चला कि वे सब तरफ से बन्द हाल के एक कोने से उठने वाली बदबू को नहीं सह सके ।

बिना वर्दी के एक पुलिस कर्मचारी ने, जो उस जगह ड्यूटी पर तैनात था, वल्ब के आकार की चार इंच लम्बी टूटी हुई शीशे की नली का पता लगा लिया जिसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ था, जो रासायनिक विश्लेषण करने पर गन्दा पनपवा निकला । 7.40 बजे वह शीशे की नली वहां से हटाई गई और तिलक मार्ग थाने को इस घटना की सूचना दी गई । स्टेशन हाउस आफिसर एकदम जांच के लिये सप्रू हाउस पहुंच गया । थोड़ी देर बाद ही वरिष्ठ अधिकारी जिनमें दो उप महानिरीक्षक, पुलिस भी शामिल थे मौके पर पहुंच गए ।

उपरोक्त घटना से सम्बन्धित अपराध अहस्तक्षेप्य है, किन्तु जिला दण्डाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 155(2) के अधीन पुलिस द्वारा जांच का अधिकार दे दिया है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 278 (वातावरण को स्वास्थ्य के लिये हानिकर करना) के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है ।

सहारनपुर में पाकिस्तानी ट्रांसमिटर

*1188. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री वाजी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक पाकिस्तानी ट्रांसमिटर पकड़ा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को, जिसके पास से ट्रांसमिटर